रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2001/फाल्गुन 10, 1922

No. 139] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2001/PHALGUNA 10, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001

का. आ. 187 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त धारा के उपबंध, सोयाबीन, सोयातेल और सोयामील को, पूरे भारतवर्ष में लागू होंगे, और उक्त अधिनियम की धारा 16 के खंड (क) के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख को उक्त माल का अग्रिम बाजार बंद होने पर, तत्समय विद्यमान दर को, उस दर के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त तारीख को या उससे पहले की गई और उक्त तारीख के पश्चात् पालन किए जाने के लिए बाकी रह गई कोई अग्रिम संविदा, बंद समझी जाएगी।

[फा. सं. 16/2/आई टी/98]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2001

S.O. 187(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby declares that the provisions of the said section shall apply to Soybean, Soyoil and Soymeal in the whole of India; and under clause (a) of section 16 of the said Act fixes the rate prevailing at the time at which the forward market in the said goods closed on the date of this notification, as the rate at which any such forward contract entered into on or before the said date and remaining to be performed after the aforesaid date shall be deemed to be closed.

[F. No. 16/2/IT/98]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001

का. आ. 188 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सोपा बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अंतर्गत दिए गए आवेदन पत्र पर, वायदा बाजार आयोग, मुम्बई के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को 1-3-2001 से 28-2-2006 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी शामिल हैं), 5 वर्ष की अवधि के लिए सोयाबीन, सोयातेल और सोयामील में अग्रिम संविदाओं के संबंध में मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगा।

[मि. सं. 16/2/आई टी/98]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2001

S.O. 188(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for grant of recognition, made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the SOPA Board of Trade, Indore and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said exchange for a period of five years from 1st March, 2001 to 28th February, 2006 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Soybean, Soyoil and Soymeal.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said exchange shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 16/2/IT/98]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.